भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
02/01/2020	विविध वाद सं0–...17.... (S.T.) / 2019–20 / CNT–46	

बांगी हेम्ब्रम, पति–स्व0 परमेश्वर हेम्ब्रम ....आवेदिका

————बनाम————

सुकलाल हाँसदा, पिता–लेपा हाँसदा .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदिका (विक्रेता) बांगी हेम्ब्रम, पति–स्व0 परमेश्वर हेम्ब्रम, ग्राम–दक्षिणाशोल, थाना–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''संथाल'' (अ0ज0जा0) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता सुकलाल हाँसदा, पिता–लेपा हाँसदा, ग्राम–आछड़ाबाईद, थाना–बहरागोड़ा, अंचल–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति– '' संथाल '' (अ0ज0जा0) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैंः–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बहरागोड़ा	पाटबेड़ा	836	97	180 181	8.00 डी0 2.00 डी

कुल रकवा–10.00डी0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–24 / 06 / 2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 09 / 07 / 2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के पत्रांक–414, दिनांकः–02 / 08 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि बिक्री केवाला संख्या–2022, दिनांक–13 / 08 / 2010 के माध्यम से आवेदिका बांगी हेम्ब्रम, पति–परमेश्वर हेम्ब्रम का खरीदा हुआ भूमि है जिसका नामान्तरण संख्या–442 / 2010–11 है तथा पंजी–II में दर्ज है। आवेदित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में पूर्व रैयत सुधिर प्रधान तथा मन्मथ प्रधान, पिता–रासी प्रधान के नाम पर दर्ज है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46 के तहत विविध वाद संख्या–169 / 2010–11 में पूर्वानुमति लेने के पश्चात भूमि का खरीद किया गया है। आवेदिका उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदिका आवेदित जमीन को बेचना चाहती है। आवेदित भूमि आवेदिका स्वयं के नाम पर पंजी–II में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। जमीन का किस्म (प्लॉट नं०–180) गोड़ा दो नई परती दो साल, एवं (प्लॉट नं०–181) गोड़ा 021 है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र

02/01/2020

संख्या–57, दिनांक–21 / 10 / 2019 दाखिल की गई है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदिका के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदिका (विक्रेता) एवं केता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अंचल अधिकारी का कार्यालय, बहरागोड़ा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–3704 / 02,दिनांक–29 / 07 / 2002 अंचल अधिकारी, का कार्यालय, बहरागोड़ा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–2177, दिनांक–10 / 09 / 2007 एवं क्रेता की ओर अंचल अधिकारी का कार्यालय, बहरागोड़ा से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–788 / 2004–05,दिनांक–09 / 03 / 2005 तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, बहरागोड़ा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–1256, दिनांक–15 / 12 / 2003 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदिका 10.00 डीसमल भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–1,20,000.00 / –(एक लाख बीस हजार) रूपये में बेचना चाहती है। मूल्य तालिका के अनुसार मौजा–पाटबेड़ा का कृषि योग्य भूमि का सरकारी मूल्य प्रति डीसमल 5090.00 रूपये निर्धारित है। इस प्रकार भूमि का कुल रकवा 10.00 डीसमल का विक्रय दर 50,900.00 रूपया होता है। तदनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को सरकारी दर से अधिक राशि में भूमि का बिक्री किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी बहरागोड़ा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–पाटबेड़ा, थाना नं0–836, खाता नं0–97, प्लॉट नं0–180 एवं 181 रकवा क्रमशः 8.00 डी0 एवं 2.00 डी0 कुल रकवा–10.00 डीसमल भूमि की अन्तरण हेतु आवेदिका (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक / दखल / कब्जा / कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

02/01/2020 02/01/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह––सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
घाटशिला।

C.C. of last order is issued.
09/01/2020